प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 19.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में दिनांक- 18.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल मय हमराह कां0 कुलदीप सिंह, कां0 जितेन्द्र कुमार बिन्द, कां0 कौशल प्रताप व कां0 अनुराग के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1.बबलू रजक पुत्र हीरालाल रजक उम्र करीब 24 वर्ष 2.चन्द्रप्रकाश पुत्र देवीदीन रजक उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण ग्राम खरयानी थाना बमहेटा जनपद छतरपुर म0प्र0 जिनके कब्जे से क्रमशः 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद करते हुए ग्राम मंगरौलकला थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 190/2025 व मु0अ0सं0 191/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल
2.कां0 कुलदीप सिंह 3.कां0 जितेन्द्र बिन्द 4.कां0 कौशल प्रताप 5.कां0 अनुराग

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.बबलू रजक पुत्र हीरालाल रजक उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम खरयानी थाना बमहेटा जनपद छतरपुर म0प्र0

2.चन्द्रप्रकाश पुत्र देवीदीन रजक उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम खरयानी थाना बमहेटा जनपद छतरपुर म0प्र0

अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद माल का विवरणः-

01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व दूसरे सफेद पारदर्शी डिब्बे में 03 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद होना

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 19.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को जनपद जालौन से किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक-19.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री अर्जुन सिंह द्वारा प्रचलित अभियान के तहत गठित की गयी उ0नि0 गौरब चौबे व कां0 चन्दन पांचाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय सि0ज0जू0डि0/जेएम महोबा से संबंधित दा0वा0सं0 602587/2008, अ0सं0 3206/08 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व केश नं0 602584/08, अ0सं0 3203/08 धारा 41/102 सीआरपीसी से सम्बन्धित एक नफर वारंटी अभियुक्त सुनील गुप्ता पुत्र संतोष गुप्ता निवासी पुराना बाजार थाना व कस्बा कदौरा जनपद जालौन हाल पता पोस्ट ऑफिस के सामने कोतवाली नगर महोबा को NBW व 82/83 सीआरपीसी से अवगत कराते हुए अभियुक्त को पुराना बाजार कस्बा कदौरा जनपद जालौन के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर थाना कोतवाली नगर महोबा लाया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सुनील गुप्ता पुत्र संतोष गुप्ता निवासी पुराना बाजार थाना व कस्बा कदौरा जनपद जालौन हाल पता पोस्ट ऑफिस के सामने कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 गौरव चौबे चौकी इंचार्ज सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. का0 चन्दन पांचाल थाना कोतवाली नगर महोबा

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 19.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा स्कूली वाहनों की चेकिंग एवं यातायात नियमों के अनुपालन हेतु विशेष अभियान चलाया गया-

आज दिनांक- 19.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा तथा सुदृढ़ यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा किया गया, जिसमें यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद में संचालित स्कूली वाहनों की गहन जांच-पड़ताल की गई।

इस अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना था। चेकिंग के दौरान स्कूली वाहनों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने के यंत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइवर का लाइसेंस, निर्धारित सीटों की संख्या की सघनता से जांच की गई।

जिन वाहनों में मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था पाई गई, उनकी सराहना की गई एवं जिनमें कमियां पाई गईं, उन्हें तत्काल बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मानक के अनुरुप सुरक्षात्मक प्रबन्ध किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इसी क्रम में यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने हेतु जनपद के प्रमुख चौराहों एवं यातायात प्वाइंटों पर तैनात पुलिस बल की ड्यूटी का निरीक्षण किया गया।

साथ ही, यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों यथा- बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, काली फिल्म, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट आदि को मौके पर रोककर समझाया-बुझाया गया तथा आवश्यकतानुसार चालान की कार्रवाई भी की गई।

क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना खरेला के समस्त विवेचकों/उ0नि0 का ऑर्डली रूम किया गया, लम्बित विवेचाओं, प्रचलित अभियानों इत्यादि की समीक्षा कर दिए कड़े निर्देश-

आज दिनांक- 19.07.2025 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड द्वारा सर्किल चरखारी अंतर्गत थाना खरेला के समस्त विवेचकों एवं उपनिरीक्षकों का ऑर्डली रूम किया गया। जिसमें क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा ऑर्डली रूम के माध्यम से निम्न बिंदुओं पर विशेष निर्देश दिए गए:

- गंभीर अपराधों की विवेचनाओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण
- लंबित मामलों की समीक्षा एवं निष्पादन की समयबद्ध कार्ययोजना
- क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही
- महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही
- प्रचलित अभियानों में सक्रियता लाते हुए जनहित में पुलिसिंग को और बेहतर बनाना
- इस ऑर्डली रुम का मुख्य उद्देश्य थानाहाजा में लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाना रहा साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना रहा।
- इसी क्रम में प्रचलित अभियानों यथा ऑपरेशन मुस्कान, मिशन शक्ति, गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश, तथा वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी जैसे महत्वपूर्ण अभियानों की समीक्षा की गई।

क्षेत्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि थानों पर आने वाली जनशिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर हेल्प डेस्क की क्रियाशीलता पर गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा गोष्ठी की गयी, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक- 19.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी श्रीमती हर्षिता गंगवार के साथ गूगल मीट के माध्यम से जनपद के सभी थानों में संचालित साइबर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान निर्देशित किया गया कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु नियमित जागरुकता अभियान चलाये जिससे लोगों में इस अपराध से बचाव हेतु जानकारी रहे, साथ ही सभी को साइबर हेल्प डेस्क को अधिक क्रियाशील बनाएं तथा इसे थाने के ऐसे स्थान पर स्थापित करें जहाँ यह आसानी से दृश्यमान एवं सुलभ हो। साथ ही इसमें नियमित रूप से प्रशिक्षित साइबर पुलिस अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि साइबर ठगी से पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके।

इसी क्रम में सभी को निर्देशित किया गया कि National Cyber Reporting Platform (NCRP) पोर्टल पर प्राप्त साइबर शिकायतों का शीघ्र संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित को समयबद्ध न्याय मिल सके।

इस समीक्षा बैठक में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारीगण गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित रहे।

उल्लेखनीय है कि साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन द्वारा विगत दिनों आयोजित गोष्ठियों के माध्यम से भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

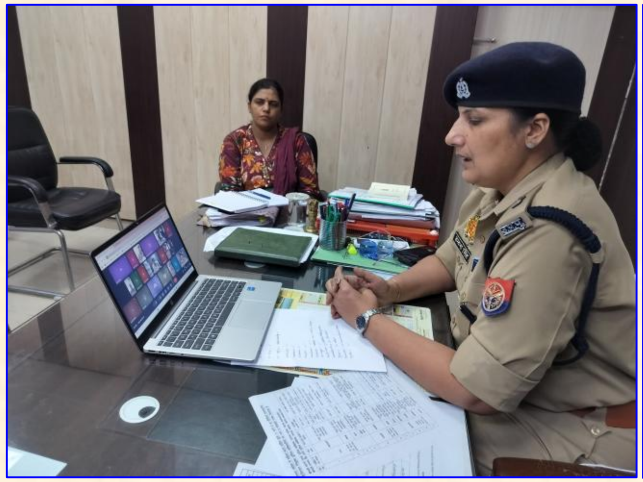

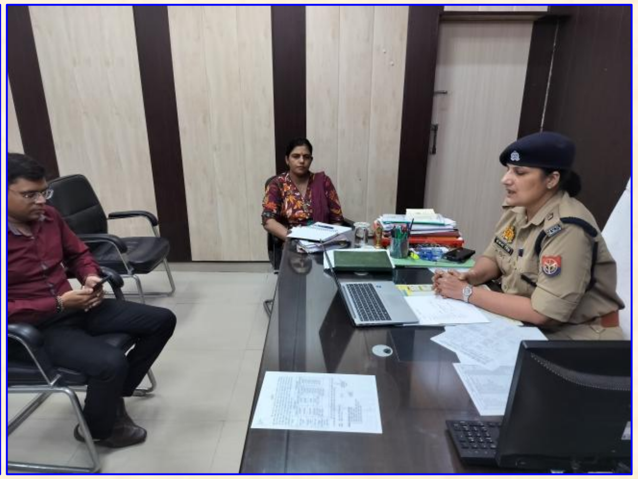

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद के साइबर थाने का किया गया औचक निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 18.07.2025 की देर रात्रि को पुलिस लाइन महोबा में स्थापित जनपदीय साइबर थाने का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर अपराधों से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा सम्बन्धित को इन मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया।

उन्होंने साइबर अपराधों में संलिप्त अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि साइबर अपराध की जांच में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए ताकि साक्ष्य संकलन और अभियोजन में गुणवत्ता बनी रहे।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने प्रभारी साइबर थाना, श्री फहीम अख्तर को आमजन को साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिससे नागरिक इस प्रकार के अपराधों से सतर्क और सुरक्षित रह सकें। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और पीड़ित को समय पर न्याय मिले।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पब्लिक फ्रेंडली बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे रजिस्टर, केस डायरी आदि को नियमित रूप से अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखा जाए।

दिनांक- 18.07.2025 की देर रात्रि को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपद महोबा के पुलिस लाइन में स्थापित जनपदीय साइबर थाने का औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा साइबर अपराधों से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी ली गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने सभी लंबित साइबर अपराध के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए निर्देशित किया।

साइबर अपराध में संलिप्त अपराधियों की पहचान कर उनके त्वरित गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया। साइबर अपराध की जांच में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के निर्देश दिये। एसपी ने निर्देश दिया की आम जनता को साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए ताकि लोग ऐसी घटनाओं का शिकार होने से बच सकें।

अपराध से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। थाना परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने का निर्देश दिया। साइबर अपराध से जुडे सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे रजिस्टर, केस डायरी आदि को नियमित रूप से अद्यतन और व्यवस्थित रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी पूरी ईमानदारी, अनुशासन और तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। थाने में आने वाले हर व्यक्ति के साथ पब्लिक फ्रेंडली और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। निरीक्षण के दौरान